भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1575

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 फरवरी, 2026/ 20 माघ, 1947(शक) को दिया जाना है)

राज्यों का जीएसटी अंशदान और प्रदत्त मुआवजा

1575. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :
श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा कुल कितनी जीएसटी राशि का अंशदान किया गया और राज्यों को जीएसटी के हिस्से की कुल कितनी राशि राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई है;

(ख) क्या राज्यों को जीएसटी का हिस्सा जारी करने में कोई विलंब हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यों को जारी किए जाने वाले लंबित जीएसटी का ब्यौरा क्या है;

(घ) 31 दिसंबर, 2025 तक प्रत्येक राज्य को कुल कितना जीएसटी मुआवज़ा बकाया है;

(ङ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार कितना मुआवज़ा जारी किया गया है;

(च) क्या मुआवज़े के भुगतान में विलंब से राज्यों का विकास व्यय प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार के पास बकाया राशि के समय पर निपटान के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान राज्यों में राज्य-वार सकल जीएसटी संग्रहण (सीजीएसटी+एसजीएसटी+आईजीएसटी) अनुलग्नक क में दिया गया है।

(ख) और (ग): राज्यों को जारी किए जाने के लिए कोई भी जीएसटी बकाया नहीं है।

(घ), (ङ) और (च): भारत सरकार ने माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण पाँच वर्षों के लिए अर्थात, 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक राजस्व में हुए नुकसान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अस्थायी रूप से स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि पहले ही जारी कर दी है । वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजी प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को छोड़कर वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेखा परीक्षित आंकड़ों के साथ अनंतिम आंकड़ों के समायोजन से प्राप्त अंतिम क्षतिपूर्ति भी जारी कर दी गई है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण अनुलग्नक ख में दिया गया है।

(छ): उपर्युक्त (ख) और (ग) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता है।

अनुलग्नक क

पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य-वार सकल जीएसटी संग्रह (सीजीएसटी + एसजीएसटी + आईजीएसटी)

(करोड़ रुपये में)

राज्य कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (जनवरी 2026 तक)
1	जम्मू और कश्मीर	4,638	5,178	6,619	7,059	5,954
2	हिमाचल प्रदेश	8,006	8,758	9,935	10,323	8,081
3	पंजाब	18,184	20,610	23,683	26,267	22,934
4	चंडीगढ़	1,963	2,343	2,751	2,869	2,581
5	उत्तराखंड	13,593	16,722	19,100	20,542	16,409
6	हरयाणा	63,165	80,637	95,873	1,11,485	99,045
7	दिल्ली	45,230	54,820	65,134	75,650	67,968
8	राजस्थान	36,607	43,958	48,322	52,752	44,575
9	उत्तर प्रदेश	61,216	73,734	86,137	95,635	82,653
10	बिहार	11,594	14,543	15,978	18,129	15,900
11	सिक्किम	2,810	3,155	3,706	4,062	3,259
12	अरुणाचल प्रदेश	708	1,021	1,306	1,198	1,243
13	नागालैंड	406	522	665	658	689
14	मणिपुर	550	612	667	698	602
15	मिजोरम	316	418	499	511	351
16	त्रिपुरा	775	880	1,051	1,190	1,000
17	मेघालय	1,755	2,056	2,235	2,178	1,934
18	असम	11,604	13,082	14,569	15,997	13,985
19	पश्चिम बंगाल	44,404	53,809	58,010	61,427	54,333
20	झारखंड	22,423	26,247	27,799	29,023	24,391
21	ओडिशा	36,495	40,568	45,380	50,743	42,024
22	छत्तीसगढ	22,710	24,928	27,166	29,618	24,432
23	मध्य प्रदेश	24,974	29,226	34,619	37,131	32,231
24	गुजरात	90,892	1,07,555	1,17,144	1,28,336	1,11,535
25	दमन और दीव	5	3	3	2	0
26	दादरा और नगर हवेली	3,137	3,760	4,325	4,404	3,862
27	महाराष्ट्र	2,03,901	2,50,439	2,96,888	3,33,913	2,99,555
29	कर्नाटक	86,457	1,09,479	1,28,414	1,41,770	1,30,671
30	गोवा	4,343	5,482	6,433	7,100	5,779
31	लक्षद्वीप	18	21	45	21	21
32	केरल	22,183	27,296	30,620	33,023	29,654
33	तमिलनाडु	78,417	96,326	1,12,582	1,21,846	1,08,271
34	पुदुचेरी	1,818	2,365	2,628	2,852	2,255
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	332	372	426	481	453
36	तेलंगाना	38,771	45,350	53,393	56,638	49,751
37	आंध्र प्रदेश	30,350	36,439	40,900	41,981	35,061
38	लद्दाख	206	332	480	543	475
97	अन्य क्षेत्र	1,590	2,609	2,615	2,473	2,251
99	केंद्र का अधिकार क्षेत्र	2,121	1,941	2,507	3,275	3,624
	जीएसटी (घरेलू)	**9,98,667**	**12,07,596**	**13,90,609**	**15,33,805**	**13,49,795**
	जीएसटी (आयात)	3,76,956	4,71,799	4,83,086	5,21,753	4,93,589
	कुल जीएसटी संग्रहण	**13,75,624**	**16,79,395**	**18,73,695**	**20,55,558**	**18,43,384**

अनुलग्नक ख

वर्ष के दौरान जारी की गई जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण (वित्तीय वर्ष के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या .	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4,570	0	164	0	4,735
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	424	0	0	0	424
4	बिहार	184	398	105	0	687
5	छत्तीसगढ	2,439	587	128	0	3,153
6	दिल्ली	12,817	1,138	363	0	14,318
7	गोवा	1,531	343	165	0	2039
8	गुजरात	7,955	10,693	0	0	18,649
9	हरयाणा	2,576	3,505	1,445	0	7,526
10	हिमाचल प्रदेश	1,293	88	51	0	1,432
11	जम्मू और कश्मीर	418	0	0	0	418
12	झारखंड	2,065	166	36	0	2,267
13	कर्नाटक	20,288	1,191	2	0	21,482
14	केरल	7,246	738	67	0	8,051
15	मध्य प्रदेश	4,572	2,613	1	0	7,186
16	महाराष्ट्र	24,121	8,618	2,504	0	35,243
17	मणिपुर	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	33	6	0	39
19	मिजोरम	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	1,887	0	562	0	2,449
22	पुदुचेरी	723	19	3	0	745
23	पंजाब	7,869	3,671	405	0	11,944
24	राजस्थान	4,260	1,398	0	0	5,658
25	सिक्किम	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	16,215	4,574	0	0	20,789
27	तेलंगाना	4,062	625	0	0	4,686
28	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	11,291	4,070	1	0	15,363
30	उत्तराखंड	2,136	477	56	0	2,668
31	पश्चिम बंगाल	8,228	0	924	94	9,246
	कुल	**14,9168**	**44,946**	**6,988**	**94**	**2,01,195**

*****